न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 25/2024 तारीख रजू :– 02.12.2024

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र जौहरी उम्र 80 वर्ष
2. भम्बल पुत्र भीकाराम उम्र 55 वर्ष
3. विश्राम पुत्र शिवली उम्र 53 वर्ष
4. रणवीर पुत्र धुंधी उम्र 40 वर्ष
5. रामस्वरूप पुत्र सोमोत्या उम्र 50 वर्ष
6. राजेन्द्र पुत्र रामसहाय उम्र 45 वर्ष
7. भगवान पुत्र हटयाराम उम्र 40 वर्ष

समस्त जाति मीना निवासी लाडपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

–सायल

बनाम

1. शकुन्तलाबाई पुत्री रामसहाय
2. सत्यप्रकाश पुत्र रामसहाय
3. सन्तो बाई पुत्री रामसहाय

समस्त जाति जागा निवासी लाडपुर हाल निवासी टोडाभीम नौ–बिस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

4. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0
5. उपपंजीयक कार्यालय तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

–गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 27.03.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम लाडपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली के आराजी भूमि खसरा नम्बर 350 रकबा 1.10 है0, 353 रकबा 0.15 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.25 है0 ग्राम लाडपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0 में स्थित है। हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में इस भूमि की खातेदारी गैरसायल संख्या 01 ता 03 के नाम दर्ज है भू प्रबंध से पूर्व इस भूमि का गत खसरा नम्बर 229 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा है जो मिलान क्षेत्रफल में दर्शाया गया है।

इस भूमि की खातेदारी गैरसायल संख्या 01 ता 03 के नाम गलत व अवैध रूप से दर्ज हुई है। यह भूमि मरघट(श्मशान) व तलाई की भूमि है जो प्रतिबंधित भूमि है। किसी भी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

व्यक्ति को ना तो अलोटमेन्ट हो सकती है और ना ही खातेदारी होती है। जमाबंदी सम्वत् 2000 से 2019 तक उसके बाद की जमाबंदी में गैरमुमकिन तलाई व श्मशान की भूमि दर्ज है, लेकिन गैरसायलान के पिता रामसहाय पुत्र मांगीलाल ने तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी हल्का गिरदावर व ऑफिस कानूनगो से साझकर के अपने नाम खातेदारी करा ली थी जिसका इन्द्राज जमाबंदी 2035 से 2038 तक में दर्ज तथा अलोटमेन्ट ओदश 29.5.1966 का हवाला दर्ज है, जबकि रामसहाय को यह भूमि कभी भी अलोटमेन्ट नही हुई थी ना ही उसका कभी कब्जा रहा है आज भी यह भूमि श्मशान व तलाई के काम आ रही है। सार्वजनिक हित की भूमि है। जिस पर हम सायलान ग्रामवासी लाडपुर व समस्त ग्रामवासियों का हित नियत है।

इस भूमि के सम्बंध में रामसहाय के नाम जो अलोटमेन्ट का इन्द्राज दिनांक 29/05/1966 लिखा है, वह फर्जी है। इस अलोटमेन्ट के आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये हम सायलान ने जिला अभिलेख कार्यालय करौली व सवाई माधोपुर में अलोटमेन्ट आदेश की भूमि खसरा नम्बर 229 दिनांक 29/05/1966 के सम्बध नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया था उन्होंने इस आधार पर नकल नही दी कि इस अलोटमेन्ट की कोई पत्रावली उपलब्ध नही है।

इस भूमि की खातेदारी रामसहाय पुत्र मांगीलाल की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिस गैरसायल नम्बर 01 ता 03 के नाम दर्ज हो गयी है। पिछले सैकडों साल से आज भी यह भूमि श्मशान व तलाई के काम आ रही है। खेती नही हो रही है। गैरसायलान के नाम दर्ज खातेदारी से उनकी नियत में बेईमानी है तथा पूर्व में रामसहाय व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान गैरसायल नम्बर 01 ता 03 ने इस भूमि को कभी भी काश्त नही किया है। गैरसायल नम्बर 01 ता 03 इस भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय ट्रांसफर करना चाहते है। जिसका उन्हें कोई अधिकार किसी भी प्रकार का नहीं है। गैरसायल संख्या 01 ता 03 दिनांक 13/06/2023 को सायलान व समस्त ग्रामवासियों को धमकी दी कि हम इस जमीन को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करेंगे, हमने उनसे बात–चीत कर ली है तथा दीगर–व्यक्तियों इस जमीन के आस–पास आते–जाते देखा है। हम सायलान ने गैरसायल संख्या 01 ता 03 से हाथ जोडकर निवेदन किया कि तुम्हारे

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

नाम खातेदारी गलत हुई है यह श्मशान की भूमि है। आप इस जमीन को विक्रय मत करों। गांव में काफी आक्रोश है, लेकिन गैरसायलान नही माने और विक्रय करने की धमकी दी, इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है। उपरोक्त प्रकरण में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित ह। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति होना संभव नहीं है। जबकि गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को पाबंद किया जाये कि वे भूमि खसरा नम्बर 350 रकबा 1.10 है0, 353 रकबा 0. 15 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.25 है0 ग्राम लाडपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0 के सम्बंध में किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय या अन्य किसी प्रकार से ट्रांसफर नही करें तथा गैरसायल संख 04 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा गैरसयाल नम्बर 05 उक्त भूमि के सम्बंध में विक्रय आदि के दस्तावेज को रजिस्टर्ड व पंजीबद्व नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने उपस्थिति दर्ज कराई एवं दिनांक 18.02.2026 को प्रतिवादी 1 ता 3 की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया

गैरसायल नम्बर 1 ता 3 द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 350 रकवा 1. 10 है0, 353 रकवा 0.15 है0 दिनांक 27.11.2024 को श्रीमति किरन भारती पत्नि रामकेश मीना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया एवं मौके पर श्रीमति किरन भारती का कब्जा करा दिया गया जिससे सायलान एवं गैरसायल नम्बर 1 ता 3 का कोई संबंध नहीं रहने से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

वादग्रस्त भूमि गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है और वर्तमान में विक्रय के पश्चात श्रीमति किरन भारती की कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि शमशान व तलाई की भूमि नहीं है। नाही सायलान एवं ग्राम के लोग अलोटमेन्ट तरीखी 29.05.1966 के विरूद्व अपील में गये और आज भी उक्त अलोटमेन्ट अस्तित्व में है इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

सायलान का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। नाही सायलान द्वारा आम जनता की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश किया, नाही सायलान का वादग्रस्त भूमि में कोई हित नहीं होने से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है। सायलान का यह कहना गलत है कि अभिलेख कार्यालय करौली / सवाईमाधोपुर में अलोटमेन्ट की पत्रावली नहीं है।

वादग्रस्त भूमि खातेदारी रामसहाय पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज होना तथा रामसहाय के पश्चात विरासत के आधार पर गैरसायल नम्बर 1 ता 3 के नाम खातेदारी होना स्वीकार है जिसे गैरसायल नम्बर 1 ता 3 द्वारा दिनांक 27.11.2024 को श्रीमति किरन भारती को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर किरन भारती का मौके पर कब्जा कर दिया गया जिसकी जानकारी सायलान को होने के पश्चात भी सायलान द्वारा किरन भारती को पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है तथा दिनांक 13.06.2023 को सायलान एवं गैरसायल नम्बर 1 ता 3 के मध्य धमकी देने वाली बात नहीं हुई क्योंकि जब वादग्रस्त आराजी से सायलान का कोई हित संबंध नहीं है तो सायलान को गैरसायल नम्बर 1 ता 3 द्वारा धमकी देने वाली बात गलत है। सायलान ने केवल गैरसायल नम्बर 1 ता 3 से व्यक्तिगत रंजिश रखते हुऐ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो खारिज किये जाने योग्य है।

सायलान का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा नही है। इसलिए ना तो सायलान का प्राइमाफेसी केस साबित है ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति ही सायलान

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

के पक्ष में साबित है, बल्कि उक्त तीनों ही बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को भारी क्षति होगी, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को किसी भी प्रकार की क्षति होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि सायलान का मौके पर कब्जा नहीं है।

सायलान का वादग्रस्त भूमि में कोई हित नही है इसलिए सायलान को यह प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है। सायलान द्वारा वादग्रस्त भूमि के रजिस्टर्ड केता श्रीमति किरन भारती को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया इसलिए प्रार्थना पत्र में मिस जोइन्डर ऑफ पार्टी का नुक्श हाने एवं सायलान का मौके पर कब्जा नही होने के कारण प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी उस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम लाडपुर के खसरा नम्बर 350/1.10, 353/0.15 कुल किता 2 कुल रकवा 1.25 है0 की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। सायलान द्वारा जो दस्तावेज पेश किये है उससे यह सावित है कि उक्त भूमि मुताबिक साबिक रिकार्ड अनुसार तलाई व श्मशान के नाम रही है गैर सायलान द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नही किये है अतः न्यायहित में प्रकरण की वस्तुस्थिति में अन्तरिम निषेधाज्ञा को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में सिद्ध होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि अप्रार्थी को पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम लाडपुरा के आराजी खसरा नम्बर 350/1.10, 353/0.15 कुल किता 2 कुल रकवा 1.25 है0 की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली